भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1120**

उत्‍तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2015

7 श्रावण, 1937 (शक)

**नई राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना तैयार करना**

**1120. श्री ए॰ यू॰ सिंह दिवः**

 **श्री रवि प्रकाश वर्माः**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना तैयार की है और इसकी जानकारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) वर्ष 2015-16 के दौरान उक्त योजना के लिए आबंटित और जारी की गई निधियों तथा विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक वास्तव में किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों को निधियों के आबंटन हेतु निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में इस योजना को लागू किए जाने के प्रारंभिक छह माह में यह किस सीमा तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है?

**उत्‍तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सर्बानन्‍द सोनोवाल)**

(क) और (ख): जी हां। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एक नई राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम (एनएसटीएसएस) प्रतिपादित की है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अन्तरराष्‍ट्रीय विधाओं में भाग लेने योग्य बनाया जाए, वे पदक जीतें तथा देश का गौरव बढ़ाएं। स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20-02-2015 को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) इस स्कीम को चालू वित्तीय वर्ष (2015-16) से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम के अंतर्गत अभी तक कोई भी निधि जारी नहीं की गई है।

(घ) और (ङ): राज्यों को निधि के आवंटन हेतु नियत मानदंडों का ब्यौरा अनुबंध-II में है। चूंकि स्कीम को चालू वित्तीय वर्ष से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है और इसे अभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में आरंभ किया जाना है, इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है।

\*\*\*\*

नई राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना तैयार करने के संबंध में श्री ए॰ यू॰ सिंह दिव तथा श्री रवि प्रकाश वर्मा संसद सदस्य द्वारा दिनांक 29.07.2015 के लिए पूछे गये राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1120 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-I

**राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम (एनएसटीएसएस) की मुख्य विशेषताएं**

* देश के सभी स्कूलों के 8-12 आयु वर्ग के (लड़के और लड़कियों दोनों) बच्चों में से ब्लॉक के प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों में प्रत्येक चयन स्तर पर 6 परीक्षण जांचों के माध्यम से खेल प्रतिभा की पहचान करना।
* ब्लॉक स्तर परीक्षण हेतु प्रत्येक स्कूल से 4 लड़के और 4 लड़कियों को जिन्होंने कुल अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, को चयनित सूची में रखा जाएगा।
* जिला स्तर परीक्षण हेतु ब्लॉक स्तर पर उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले 16 लड़कों और 16 लड़कियों को चयनित सूची में रखा जाएगा।
* प्रत्येक ब्लॉक में जिला स्तर परीक्षण में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले इन 32 विद्यार्थियों को समेकित कर एक सामान्य योग्यता सूची तैयार की जाएगी।
* इस संयुक्त योग्यता सूची में से अलग-अलग जिलों के ऊपरी 1000 लड़के और 1000 लड़कियों को जिन्होंने उच्चतम कुल अंक प्राप्त किए हैं, को प्रत्‍येक राज्‍य की चयनित सूची में रखा जाएगा।
* इस सूची के लड़के और लड़कियों को जिनमें खेल प्रतिभा/संभावनाएं हैं तथा जिनकी एनएसटीएसएस के माध्यम से पहचान की गई है, को राज्य खेल विद्यालयों/जूनियर खेल अकादमियों/राज्य खेल अकादमियों/राज्य खेल छात्रावासों आदि में प्रवेश तथा विभिन्न अन्य राज्य खेल स्कीमों में वरीयता दी जाएगी।
* इसके अतिरिक्त, आरजीकेए ग्रामीण प्रतियोगिताओं में 8-12 आयु वर्ग के उच्च प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार भी ऊपर वर्णित राज्य खेल विद्यालयों आदि में भी प्रवेश के हकदार होंगे।
* 5 वर्षों में कुल अनुमानित व्यय लगभग 210 करोड़ रुपये होगा।

 नई राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना तैयार करने के संबंध में श्री ए॰ यू॰ सिंह दिव तथा श्री रवि प्रकाश वर्मा संसद सदस्य द्वारा दिनांक 29.07.2015 के लिए पूछे गये राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1120 के भाग (घ) और (ड.) के उत्‍तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध- II

**राज्यों को निधि आवंटन हेतु नियत मापदंड संबंधी ब्यौरा**

|  |  |
| --- | --- |
| **विवरण** | **अनुमानित राशि** |
|  **आवर्ती** |  |
| 1. प्रत्येक स्तर, अर्थात स्कूल, ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर सभी छ: जांच परीक्षणों के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए डाटा इंदराज करना।  |  5/- रुपये प्रति प्रविष्टि |
| 2. जांच परीक्षण संचालन हेतु व्‍यय  |  |
| ब्लॉक स्तर  |  44,000/- रुपये प्रति ब्लॉक |
| जिला स्तर |  50,000/- रुपये प्रति जिला |

\*\*\*\*